श्रमायुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ, रायपुर

मीरा दातार रोड, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर
दूरभाष 0771–2443515,2443516(फैक्स)

//आदेश//

रायपुर, दिनांक 22/04/2014

श्र0आ0/प्रवर्तन/2014/235 श्रम विभाग के निरीक्षकों हेतु वर्तमान में विभिन्न श्रम अधिनियमों के तहत निरीक्षण हेतु निर्धारित लक्ष्य में आंशिक संशोधन किया जाकर स्थापनावार निरीक्षण हेतु प्रत्येक निरीक्षक का प्रतिमाह लक्ष्य, निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :–

क्र0	स्थापना का प्रकार	निरीक्षण संख्या	अधिनियम की संख्या जिसके तहत निरीक्षण किया जा सकता है
01	*02*	*03*	*04*
01	कारखाना	03	09X3= 27
02	दुकान एवं स्थापना	03	10X3 =30
03	निर्माण स्थापना	03	07X3 =21
04	मोटर यातायात स्थापना	01	04X1 =04
	योग	10	82

स्पष्टीकरण :–

(अ) कारखाना में निरीक्षण करते समय एक बार में निम्नांकित अधिनियमों के तहत निरीक्षण किया जाना आवश्यक होगा :–

1 न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
2. श्रम कल्याण अधिनियम, 1982
3. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976
4. संविदा श्रमिक अधिनियम, 1970
5. बाल श्रमिक अधिनियम, 1986
6. बोनस भुगतान अधिनियम, 1965
7. प्रसूति हितलाभ अधिनियम, 1961
8 उपादान भुगतान अधिनियम, 1972
9. अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979

(ब) व्यवसायिक संस्थान होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा या कर्मचारीयुक्त दुकान में निरीक्षण करने पर एक बार में निम्नांकित श्रम अधिनियमों के तहत निरीक्षण किया जाना आवश्यक होगाः–

1. दुकान एवं स्थापना,
2. समान पारिश्रमिक अधिनियम,
3. बाल श्रमिक अधिनियम,
4. बोनस भुगतान अधिनियम,
5. उपादान भुगतान अधिनियम,
6. श्रम कल्याण निधि अधिनियम,
7. न्यूनतम वेतन अधिनियम,
8. प्रसूति हितलाभ अधिनियम,
9. विक्रय संवर्धन कामगार अधिनियम,
10. वेतन भुगतान अधिनियम,

<u>टीपः–</u> व्यवसायिक संस्थान होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा या कर्मचारीयुक्त दुकान में विक्रय संवर्धन कामगार अधिनियम एवं श्रमजीवी कर्मकार अधिनियम के अभाव में न्यूनतम वेतन अधिनियम के 02 अतिरिक्त निरीक्षण संपादित करना होगा। साथ ही दुकान एवं स्थापना के उन्हीं संस्थानों में निरीक्षण किया जावे जहां कर्मचारी कार्यरत हो।

(स) निर्माण स्थापना का निरीक्षण करते समय एक बार में निम्नांकित श्रम अधिनियमों का निरीक्षण किया जाना आवश्यक होगाः–

1. भवन एंव अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम
2. न्यूनतम वेतन अधिनियम
3. समान पारिश्रमिक अधिनियम
4. बाल श्रम अधिनियम
5. मोटर यातायात श्रमिक अधिनियम
6. अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार अधिनियम
7. संविदा श्रमिक अधिनियम

(द) मोटर यातायात संस्थान में निरीक्षण करते समय एक बार में निम्नांकित श्रम अधिनियमों के अंतर्गत निरीक्षण किया जाना आवश्यक होगाः–

1. मोटर यातायात श्रमिक अधिनियम,
2. न्यूनतम वेतन अधिनियम
3. बाल श्रमिक अधिनियम
4. उपादान भुगतान अधिनियम

(उ) बीड़ी संस्थान में निरीक्षण करते समय एक बार में निम्नांकित श्रम अधिनियम के अंतर्गत निरीक्षण किया जाना आवश्यक होगा :-

1 बीड़ी एवं सिगार कामगार अधिनियम
2 प्रसूति हितलाभ अधिनियम
3 न्यूनतम वेतन अधिनियम
4 बाल श्रम अधिनियम

(ऊ) बीड़ी संस्थान सीमित संख्या में है इसलिये जिले के सहायक श्रम आयुक्त/श्रम पदाधिकारी आवश्यकतानुसार वर्ष में कम से कम एक बार बीड़ी संस्थान में बिन्दू कमांक 05 के अनुरूप सामुहिक निरीक्षण संपादित करवायेंगे।

(ए) जिस निरीक्षक के कार्यक्षेत्र में कारखाना न हो उस निरीक्षक द्वारा दुकान स्थापना संस्थान के 03 निरीक्षण अतिरिक्त किया जावेगा । इसी तरह जिस निरीक्षक के कार्यक्षेत्र में दुकान स्थापना संस्थान नहीं होगा उस निरीक्षक द्वारा कारखाने का 03 अतिरिक्त निरीक्षण संपादित किया जावेगा ।

उपरोक्त निरीक्षण कैलेन्डर का पालन तत्काल सुनिश्चित किया जावे ।

(प्रमुख सचिव, श्रम द्वारा अनुमोदित)

17/4/2014

(डा0 जितेन कुमार)
श्रमायुक्त
छत्तीसगढ़, रायपुर

पृ0कमांक /श्र0आ0/प्रवर्तन/2014/5110, रायपुर, दिनांक 25/04/2014

प्रतिलिपि,

1. स्टाफ आफिसर, प्रमुख सचिव, छ0ग0 शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय की ओर सूचनार्थ
2. सचिव, छ0ग0 शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय की ओर सूचनार्थ ।
3. उप श्रमायुक्त, कार्यालय श्रमायुक्त रायपुर छ0ग0।
4. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी जिला....................छ0ग0 आदेश के पालन करवाने हेतु ।
5. समस्त श्रम निरीक्षक/उप निरीक्षक, छत्तीसगढ़ की ओर पालनार्थ प्रेषित ।
6. समस्त शाखा प्रभारी, कार्यालय श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ ।
7. आदेश पत्रिका।

17/4/2014.

श्रमायुक्त